

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

तहसील अधिकारी:- श्री सी. एल. शर्मा, आर.ए.एस.
दफ्तर संख्या - 93/18

सुडा 50 श्री राम कुमावत गिवासी - कजको कारवेड़ा, तहसील-माण्डल
-प्रार्थी

बनाम

वानुराम-50 हेगा कुमावत गिवासी - कजको कारवेड़ा, तहसील-माण्डल
-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0गू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 20.4.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0गू0रा0अधि0नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम केरिया पटवार हल्का केरिया खातों की आराजी नं 3271/3263, 3272/3263 रकबा 08 बीघा 10 विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुत्तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा रावंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 6.4.18 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त पटवार हल्का उक्त तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर उक्त कुल कितने उक्त रकबा उक्त बीघा उक्त विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमारा को 450/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा